

फर्द अहकाम

21/6/16 पम्बली राजस्व लोक अदालत शिबिर
में पेश हुई। पम्बली का अवलोकन किया
गया। उमच पक्ष नाकस्ट सूचना के अंगुण
गैरसाधलान की लक्षी के पश्चात दिनांक
21/11/15 को वकील उप० हुआ। जिसने प्राथम
के अवाय के लिए समय चाहा। उसके तारीख
पेशीयों पर पम्बली पेश हुई किन्तु गैरसाधलान
वकील लगभग 1 1/2 वर्ष भी अधि निकलने के पश्चात
भी अवाय पेश नहीं कर सका है।

अतः प्रा० पत्र अख्यार्ड निषेधाज्ञा
स्वीकार किया जाता है। उमच पक्षों को
पावन्ड किया जाता है कि ता फैसला दावा
मौके एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये
रखें। पम्बली फैसल दोफर नम्बर से
कम की जाकर हमपिता दावा भी आवे।



उप जिला कलेक्टर
हिण्डीन सिटी, जिला करौली